न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 551 / 2023

अनवान : –

1. पप्पु पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रूकमणी पुत्री मेघाराम पत्नी राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सुशील पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. इन्द्राज पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

6. साहबराम पुत्र पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 32 / 32 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 300 / 32 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादीया सं0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्य 2 ता 4 एवं 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादी स0 4 के नाम अपने पिता राममूर्ति से पहले से कृषि भूमि में 40 बीघा भूमि प्राप्त है तथा अपने भाईयों से अधिक कृषि भूमि होने के कारण उक्त भूमि में से कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादी स0 1 काफी वृद्ध हो चुकी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 6 के पक्ष मे त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 बहैंब खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही वादी का दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी रोही मौजा थिराना खाता संख्या 32/32, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी रोही मौजा थिराना तहसील नोहर खाता संख्या 300/32, शपथ बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के माता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पिता के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 32/32 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 300/32 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित, पैतृक कृषि भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 द्वारा स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 32/32 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 300/32 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:38 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 551/2023

अनवान : –

1. पप्पु पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रूकमणी पुत्री मेघाराम पत्नी राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सुशील पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. इन्द्राज पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व.नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

6. साहबराम पुत्र पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 551 सन 2023 निर्णय दिनांक 22.12.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 32/32 की कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 300/32 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:38 IST
Reason: SelfAttested